Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

Jamabandi Correction Revision No.- 117/2023

Jivan Lal Agrawal & Ors..... Petitioners.

Versus

The State of Bihar & Ors. ..... Opposite Parties.

Sl. No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	04.9.2025	**आदेश** यह जमाबंदी सुधार पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा जमाबंदी सुधार अपील वाद सं0–511/2018-19 में दिनांक-28.02.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/ थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
प्राणपुर	लालगंज/216	68	2041,2042	88 ½ डी.

दिनांक- 19.8.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Written Statement में अंकित है। विपक्षीगण की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत जमीन का क्रय उनके पिता विशेश्वर लाल अग्रवाल द्वारा किया गया, जिसके उपरांत उनके नाम से जमाबंदी सं0 1688 कायम हुआ। जबकि विपक्षीगण का दावा है कि प्रश्नगत जमीन उनके दादा किशन साह एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है, जिसपर उनके दादा किशन साह के नाम से जमाबंदी सं0 - 68 कायम है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों - वाद पत्र, Written Statement आदि तथा LCR के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत विपक्षीगण के पूर्वज रहे हैं तथा यह कि विपक्षीगण के दादा किशन साह के नाम से जमाबंदी सं0 68 कायम रहा है। अपीलार्थी द्वारा अंचल कार्यालय, प्राणपुर के नामांतरण वाद सं0-73/14-15 के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर जमाबंदी सं. 1688 सृजित होने का दावा किया जा रहा है। परंतु कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त नामांतरण वाद को अंचल अधिकारी, प्राणपुर के स्तर से अस्वीकृत कर दिया गया था। कागजातों के आधार पर यह भी स्थापित होता है कि अपीलार्थी के पिता विशेश्वर लाल अग्रवाल द्वारा इसके पूर्व में भी अंचल कार्यालय, प्राणपुर में प्रश्नगत जमीन के संदर्भ में नामांतरण वाद सं. 3679/13-14 दायर किया गया था। जो अस्वीकृत हो गया था।

निम्न न्यायालय (समाहर्त्ता, कटिहार) के अपीलाधीन आदेश में संगत तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं की विवेचना करते हुए यथोचित Findings अंकित है। निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में अंकित है कि "उभयपक्ष द्वारा अपने-अपने दावे के समर्थन में कागजात भी समर्पित किया गया है। विवाद मुख्य रूप से मौजा-लालगंज, थाना नं0-216, खाता नं0-68, खेसरा नं0-2041 एवं 2042 कुल रकवा-88½ डी. भूमि को लेकर है। उक्त खाता, खेसरा से कुल 1.77 एकड़ भूमि किशन साह ही थी, जिसके नाम जमाबंदी संख्या-68 संधारित होकर लगान रसीद निर्गत हुआ। किशन साह उक्त भूमि से वर्ष 88½डी. भूमि एक सावित्री देवी को बिक्री कर दिया गया। सावित्री देवी द्वारा अपने नाम नामान्तरण कराया गया। शेष 88½डी. भूमि भूधारी किशन साह के नाम जमाबंदी संख्या-68 पर कायम रहा और वर्ष 2013-14 तक लगान रसीद निर्गत होता रहा। विपक्षी विशेश्वर लाल अग्रवाल द्वारा प्रश्नगत भूमि का अपने नाम से नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी, प्राणपुर को आवेदन दिया गया। जिसका नामान्तरण वाद संख्या-3679/13-14 है, जो अस्वीकृत हो गया। पुनः इसका नामान्तरण हेतु वाद संख्या-73/14-15 दायर किया गया। यह वाद भी अस्वीकृत

	04.9.2025	हो गया। हल्का कर्मचारी द्वारा एक तथाकथित लगान रसीद के आधार पर विपक्षी के नाम प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी संख्या-1688 कायम कर लगान रसीद निर्गत कर दिया गया, जबकि पुराने लगान रसीद के नाम में interpolation किया गया है। यह बिन्दु भी विचारणीय है कि यदि विपक्षी विशेश्वर लाल अग्रवाल के नाम प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी पूर्व से कायम थी और उन्हें लगान रसीद भी प्राप्त हो रहा था तो पुनः उसी जमीन का नामान्तरण हेतु दो-दो बार अंचल अधिकारी, प्राणपुर को आवेदन देने का क्या औचित्य है। निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, प्राणपुर एवं विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार के प्रतिवेदन तथा अस्वीकृत नामांतरण आदेश पर विचार नहीं किया गया और केवल अनुमान के आधार पर विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया, जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।'' सुनवाई में अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत जमीन पर विपक्षीगण के दादा किशन साह के नाम से कायम जमाबंदी सं0 68 को विधिमान्य नहीं मानने के संदर्भ में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। साथ ही अपीलार्थी की ओर से अपने अभिकथन/दावा के समर्थन में संगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय के स्तर से उपरोक्त उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। इसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Sd/- 04/9/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया लेखापित एवं शुद्धित। Sd/- 04/9/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	